न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 64 / 2019 निर्णय दिनांक — 17.05.2019

1. सुमतिलाल पिता रोशनलाल महाजन, आयु 65, निवासी बिनोता।
2. नेमीचन्द पिता रोशनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
3. जम्बु कुमार पिता रोशनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
4. विरेन्द्र कुमार पिता रोशनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवसी बिनोता।
5. गुणवन्त कुमार पिता रोशनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
6. हितेष पिता नाथूलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
7. पीयुष पिता नाथूलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
8. मु. ललिता पत्नी नाथूलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

— प्रार्थीगण

/ / बनाम / /

1. भैरूलाल पिता तुलसीराम डांगी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
2. मोहनलाल पिता तुलसीराम डांगी, आयु वयस्क, निवसी बिनोता।
3. चैनराम पिता गोकल डांगी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
4. तुलसीराम पिता जगन्नाथ जाट, आयु वयस्क, निवासी उंढेल तहसील बड़ीसादड़ी।
5. कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाट, आयु वयस्क, निवासी उंढेल, तहसील बड़ीसादड़ी।
6. मोतीलाल पिता चम्पालाल जाट, आयु वयस्क, निवासी उंढेल, तहसील बड़ीसादड़ी।
7. मोतीलाल पिता चम्पालाल जाट, आयु वयस्क, निवासी उंढेल, तहसील बड़ीसादड़ी।
8. प्रेमचन्द पिता किशना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भगवानपुरा।
9. चतरूलाल पिता काना डांगी, आयु वयस्क, निवासी सांगरिया।
10. नन्दलाल पिता काना डांगी, आयु वयस्क, निवासी सांगरिया।
11. रतनलाल पिता मगना डांगी, आयु वयस्क, निवासी सांगरिया।
12. लक्ष्मी बाई पत्नी रतनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, हा.मु. उदयपुर।
13. महिमा पुत्री रतनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, हा.मु. उदयपुर।
14. अयुरा पुत्री रतनलाल महाजन, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, हा.मु. उदयपुर।
15. प्रभुलाल पिता मगना डांगी, आयु वयस्क, निवासी सांगरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता की खाता संख्या 813 की आराजी नं. 1779 रकबा 4.3000 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Offic

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बिनोता की खाता संख्या 813 की आराजी नं. 1779 रकबा 4.3000 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 17.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 18:24:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: